तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व अहकाम की तामील
14/08/14	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, दिगर कार्य में व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 01/10/2014 .... को पेश हों। ह०	
01-10-14	वकील सायलान उपस्थित है। बहस प्रार्थना पत्र पेश करने का समय चाहते हैं, समय दिया जाता है पत्रावली आयन्दा दिनांक 13-11-2014 को पेश हो। ह० SDO	
13-11-14	वकील सायलान उपस्थित है बहस प्रार्थना पत्र का समय चाहते हैं, समय दिया जाता है पत्रावली आयन्दा दिनांक 24-12-14 को पेश हो। ह० SDO	
24-12-14	पत्रावली पेश हुई। आज S.D.O. साहब दौरे पर, दिगर कार्य में व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 19-02-15 .... को पेश हों। ह०	
19-02-15	पत्रावली पेश हुई। आज S.D.O. साहब दौरे पर, दिगर कार्य में व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 08-04-15 .... को पेश हों। ह०	
08-04-15	वकील सायलान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र तथा दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस प्रार्थना पत्र वकील सायलान पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः सायलान गैरसा० की पत्नी पुत्र व पुत्रियाँ हैं तथा उक्त आराजी का गैरसा० बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण करने पर आमादा है धारा की प्रकृति का है। जिससे गैरसा० को सायलान की पैतृक व पुश्तैनी आराजी की उक्त विवादित भूमि का बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण आदि करने से जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाना उचित समझता हूँ। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर सायलान विरुद्ध गैरसा० इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा- ग्राम पंचायत बबाड़ा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 101, 103/1, 122 रकबा कुल किता 3 रकबा 15 बीघा 04 बिस्वा काश्तकारी भूमि का बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण आदि करने से गैरसा० को वाद निर्णय तक रोका जाकर पाबन्द किया जाता है। दिनांक 25-11-2013 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा अस्थायी को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जाता है। पत्रावली मिसल शुमार नम्बर से खारिज हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो। ह० SDO	

Scanned by CamScanner